(a) the State-wise/District-wise target fixed for the installation of STD/PCO in the country during the next three years; and

(b) the State-wise/District-wise target fixed for the installation of STD/PCO in the country during the next three years; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

STD/ISD/PCO Booths

11. SHRI MOHINDAR SINGH KAIYAN; Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of STD/ISD/Public Telephone booth* functioning in Punjab, Orissa, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Assam etc.;

(b) the number of applications which are still pending for allotment of such new booths in those States; and

(c) what is the State of consideration of these applications stating details district-wise?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as scion as possible.

साकेत, नई दिल्ली में डाकघर खोला जाना

12. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरीय क्षेत्रों में डाकघर/उप डाकघर खोले जाने हेतु कितनी जनसंख्या की जरूरत होती हैं

(ख) क्या साकेत (नई दिल्ली) की जनसंख्या उपरोक्त (क) में अपेक्षित जनसंख्या की तुलना मे कम हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो वहां कोई डाकघर / उप डाकघर न खोले जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महानगरीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए अलग से कोई मानदंड नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड महानगरीय क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं (मानदंडो की प्रति विवरण में दी गई हैं) (नीचे देखिए)

(ख) जी नहीं।

(ग) साकेत में 15.7.1997 को एक विभागीय उप डाकघर खोला गया है।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.**नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

1.1 **जनसंख्या**

(क) सामान्य क्षेत्रों में एक ग्राम समूह आबादी 3000 (इसमें ठन गांवो की आबादी भी शामिल हैं जहां डाकघर खोला जाना हैं) ।

(ख) पहाड़ी, जनजातिय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में: किसी एक गांव की आबादी 500 गांवो के एक समूह की आबादी 1000।

1.2 दूरी:

(क)सामान्य क्षेत्रों में:

नजदीक डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातिय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में: दूरी की सीमा वही होगी सिवाय पहाड़ी क्षेत्रों को छोडकर। निदेशालय द्वारा ऐसो मामलो में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती हैं जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित हैं जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रो में : न्युनतम प्रस्याशित राजस्व लागत का 33-1/3 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) **पहाड़ी , जनजातिय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों मेंः** न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. नए विभागिय उपडाकघर खोलने के लिए मानदंडः

2.1 **ग्रामीण क्षेत्रों में :** अतिरिक्त विभागिय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पाचं घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400 रू. प्रतिवर्ष तथा जनजातिय व पहाड़ी क्षेत्र में 4800 रू. प्रतिवर्ष से अधिक नही होना चाहिए।

2.2 **शहरी क्षेत्रो मेंः**

2.2.1शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरंभ में आत्निर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्ष के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने हेतु पात्र हो सके।

2.2.2 20 लाख और उसमें अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाकघर है तो निकटतम वितरण डाकघर से इसकी दूरी 5 कि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलो में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार हैं।

2.2.2 शहरी क्षेत्रों में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैंन बीट्स होनी चाहिए।

Publication of Telephone Directory in Delhi

13. SHRI AKHILESH DAS:
SHRI NARENDRA MOHAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether MTNL has not published any Telephone Directory for Delhi after 1994, especially when more than 25% of the existing numbers have changed and additional 5.65 lakh lines have been added during the period since 1994;

(b) if so, whether the MTNL proposes to publish the up-dated Directory;

(c) if so, by when it is likely to be released;

(d) whether any alternative method is also being thought for the ordinary subscribers to get direct information; and

(e) whether it is correct that telephone directories in various cities, and even in leading cities are not up-to-date and there is no regularity in their publication?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The tenders are under evaluation.

The next issue of Telephone Directories for Delhi and Mumbai are likely to be released by March, 1998.

(d) The following alternative methods are available for the subscribers to get direct information.

(i) Non-metcred Directory Enquiry service 197 is operating from six Directory Enquiry Centres in Delhi.

(ii) Directory Dial Up Service for Computer and Inet users.

(iii) Computerised Changed Number Announcement Service (non-Metered) is available through IVRS on 1951 (Hindi) and 1952 (English).

(iv) Walk in Directory Enquiry at Head Quarter and Area Customer Service Centres (CSC).

(v) Telephone Directory in CD ROM is available on sale at Darya Ganj, K.L. Bhawan, Shakti Nagar, Bhikaji Cama Place, Nehru Place, Maya Puri, Rajouri Garden and Laxmi Nagar Telephone Exchanges/Customer Service Centres (CSC).

(e) Sir, in some cities the updated directories are not being published regularly due to contractors' problem.